न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर ए एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 208 सन् 2015

पंजीयन दिनांक 03.09.2015

प्यारचंद पिता वेणा जाति ब्राह्मण निवासी ओछडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

विरूद्व

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 17/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015

उपस्थित– 1. किशनलाल कुमावत – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक 22.09.2022

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र बाबत् कृषि आराजीयात की घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी मौजा ओछड़ी तहसील व चित्तौड़गढ़ मे साबिक सेटलमेन्ट आराजी नम्बर 542/3 रकबा 14 बिस्वा कृषि आराजीयात का खातेदार था। उसका नाम विगत पैमाईश मे अपीलान्ट वादी की मामी भगवतीबाई के नाम खाते मे आई। अपीलान्ट वादी की मामी भगवतीबाई के नाम पर जो जमाबन्दी थी वह जमाबन्दी पैमाईश मे अपीलान्ट वादी के नाम पर आई। अपीलान्ट वादी की मामी भगवतीबाई के खातेदारी मे 14 बिस्वा कृषि आराजीयात थी। भगवतीबाई 14 बिस्वा आराजीयात पर खेती करती थी। 14 बिस्वा कृषि आराजीयात जिस जरीफ से नापी गई थी व जरीफ साढे बावन फीट की थी। भगवती बाई के कोई औलाद नही थी इसलिये भगवतीबाई ने अपने भाणेज अपीलान्ट वादी को गोद रखा था। भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी। अपीलान्ट वादी को भगवतीबाई ने 14 बिस्वा कृषि आराजीयात सौपी थी। 14 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1023 रकबा 0.1512 हैक्टेयर बनते है। अपीलान्ट वादी के कब्जे काश्त मे 0.1512 हैक्टेयर कृषि भूमि ही है। अभी तक अपीलान्ट वादी इतनी ही भूमि पर खेती कर रहा है। वर्तमान भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने अपीलान्ट वादी के खाते मे 0.09 हैक्टेयर कृषि आराजीयात ही खाते मे रखो। वर्तमान भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने अपीलान्ट वादी के खाते मे 0.0612 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज कर दी। जो रेकार्ड की भूल है। इसकी पुरी जवाबदारी भू–प्रबन्ध अधिकारियो की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। भू-प्रबन्ध विभाग राज्य सरकार का अंग है। भू-प्रबन्ध के अधिकारी राजस्थान सरकार के कर्मचारी है इसलिये राजस्थान राज्य इस रेवेन्यू रेकार्ड की भूल के लिये जिम्मेदार है। विवादित कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे कहां चली गई व रेकार्ड मे किस प्रकार कम हो गई इसकी जानकारी अपीलान्ट वादी को नही हो सकती है। अपीलान्ट वादी काश्तकार है उससे यह अपेक्षा भी नही की जा सकती है कि वह यह बतावे कि कृषि आराजीयात कैसे कम हुई व किस पडौसी की कृषि आराजीयात मे बढ गई। अंततः अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय से इन्द्राज दुरस्ती घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाही।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावे हेतु अवसर चाहा। उक्त पत्रावली जवाबदावे मे विचाराधीन होते हुए दिनांक 01.06.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट ओछडी मे नियत की गई। वादपत्र वादी अपीलान्ट के वादपत्र का प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर वादी अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नेाटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पत्रावली जवाबदावा प्रतिवादीगण नियत थी। उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट ओछडी मे नियत की गई। उसी दिन रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाबदावा लिया जाकर गुणावगुण पर बहस सुनी जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। बहस के दौरान अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टान्त आर.एल. डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 व आर.आर.टी. 2002 पार्ट-2 पेज 814 का अवलोकन करवाया। व अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे इन्द्राज दुरस्ती घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी के साबिक भू-प्रबन्ध मे 14 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड रही है जिससे नवीन भू-प्रबन्ध मे 0.1512 हैक्टेयर भूमि बनती है। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 1023 कायम कर 0.09 हैक्टेयर भूमि ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की है, जिससे अपीलान्ट वादी 0.0612 हैक्टेयर भूमि की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है। अपीलान्ट वादी ने अपने वादपत्र मे यह कही अंकित नही किया है कि अपीलान्ट वादी का रकबा 0.0612 हैक्टेयर कम किया जाकर किस आराजीयात मे सम्मिलित करते हुए उक्त आराजी का रकबा बढाया गया। अपीलान्ट वादी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र लेकर उपस्थित हुआ है। उक्त वादपत्र को प्रमाणित कराये जाने का दायित्व अपीलान्ट वादी का है। फिर भी अपीलान्ट वादी ने अपने कर्त्तव्यो से हटकर यह कह देना कि अपीलान्ट छोटा काश्तकार है वह जानकार नही है। उससे यह अपेक्षा नही की जा सकती है इन कथन मात्र से अपीलान्ट वादी अपने दायित्वो से मुक्त नही हो सकता है। अपीलान्ट वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यो से अपने वादपत्र को प्रमाणित नही करवाया है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया व अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली जवाबदावे मे विचाराधीन थी। दिनांक 01.06.2015 को उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ओछडी मे नियत की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाबदावा अस्वीकारोक्ति का प्रस्तुत किया गया व यह निवेदन किया गया कि उत्तरी दिशा मे आराजी नम्बर 1022,1024 व दक्षिण दिशा मे 1029 अवस्थित है। उक्त आराजीयात मे पुराने के मुकाबले मे नवीन आराजी नम्बर बेसी होना नही पाया जाता है, उक्त आशय का जवाबदावा लोक अदालत के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति मे वादपत्र मे दावा, जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य व सबूत लिवाए जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लिखित राजीनामे के व बिना मौका रिपोर्ट लिये लोक अदालत के तहत वादपत्र को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु 2008 पार्ट–2 पेज 975 इस प्रकरण पर चस्पा होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 17/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दावे व जवाबदावे के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे राजस्व रेकॉर्ड के साथ मौका स्थिति की रिपोर्ट ली जाकर साक्ष्य लिवायी जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना मे तनकीवार , अजसरे , नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.11.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)